



स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

स्थानीय निकायों
पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	v
सामान्य रूपरेखा	-	vii
भाग – अ		
अध्याय – I		
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा		
परिचय	1.1	1
राज्य की रूपरेखा	1.1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	3
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	1.6	11
जवाबदेही तंत्र	1.7	13
निधियों के स्रोत	1.8.1	15
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	1.8.2	18
केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं	1.8.3	18
अभिलेखों का संधारण	1.8.4	20
रोकड़ बही के अंतशेष से बैंक पासबुक का मिलान	1.8.5	21
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं का संधारण	1.8.6	21
ए.सी/डी.सी विपत्रों से संबंधित मामलें	1.8.7	23
लेखापरीक्षा का प्रभाव	1.8.8	23
अध्याय – II		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग		
अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय	2.1	25
भाग – ब		
अध्याय – III		
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा		
परिचय	3.1	27
राज्य की रूपरेखा	3.1.1	27
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	3.2	28
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	29
कार्यों, निधियों व कर्मियों का प्रतिनिधायन	3.3.2	30

विवरण	कंडिका	पृष्ठ सं.
विभिन्न समितियों का गठन	3.4	32
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	34
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुक्रिया	3.6	36
जवाबदेही तंत्र	3.7	38
निधियों के स्रोत	3.8.1	42
केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं	3.8.2	43
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं	3.8.3	45
अभिलेखों का संधारण	3.8.4	46
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखाओं का संधारण	3.8.5	46
बैंक समाधान विवरणी का नहीं बनाया जाना	3.8.6	46
ए.सी/डी.सी विपत्रों से संबंधित मामलें	3.8.7	47
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.8.8	47
अध्याय – IV		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नगर विकास एवं आवास विभाग		
संपत्ति कर राजस्व की हानि	4.1	49
वेबसाइट व सॉफ्टवेयर के विकास पर निष्क्रिय व्यय	4.2	50
सोलर स्ट्रीट लाइटों का अनियमित क्रय	4.3	53
कूड़ेदानों के क्रय पर परिहार्य व्यय	4.4	55
परिहार्य भुगतान	4.5	56
अपात्र लाभार्थियों को आवासीय इकाईयों का आवंटन	4.6	58
नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन	4.7	59
मशीनों के क्रय पर अनुत्पादक व्यय	4.8	60

परिशिष्ट			
परिशिष्ट सं.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
1.1	पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 5वीं राज्य वित्त आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं और बिहार सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8.2	63-65
2.1	अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1	66
3.1	श.स्था.नि. द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची को दर्शाती विवरणी	3.3.2	67
3.2	नगर निगमों द्वारा सेवा स्तर मानक में निर्दिष्ट लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती विवरणी	3.7.4	68
3.3	35 श.स्था.नि. की प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाती विवरणी	3.8.1.3	69
3.4(अ)	14वीं वित्त आयोग अनुदानों से आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी	3.8.3	70
3.4(ब)	5वीं राज्य वित्त आयोग के अनुदानों से आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी	3.8.3	71
3.5	रोकड़ बही और पासबुक के बीच इकाई-वार अंतर को दर्शाती विवरणी	3.8.6	72
3.6	समायोजित व असमायोजित ए.सी. विपत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा को दर्शाती विवरणी	3.8.7	73
3.7	लेखापरीक्षा के दौरान हुई वसूली को दर्शाती विवरणी	3.8.8	74
4.1	प्रत्येक पांच वर्ष में होल्लिडिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण न करने के कारण हुई राजस्व हानि को दर्शाती विवरणी	4.1	75
4.2	विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में जमा नहीं की गई नगर-राजस्व को दर्शाती विवरणी	4.7	76
4.3	मशीनों के क्रय पर अनुत्पादक व्यय को दर्शाती विवरणी	4.8	77
-	संक्षिप्तियों की शब्दावली	-	79

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के संदर्भ में बिहार सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य के पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

जनवरी 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुद्दों के साथ साथ वे मुद्दे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, लेकिन जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां भी आवश्यक थे, उन्हें भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए मानकों, के अनुरूप संपादित की गई है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेतु क्यू.आर. कोड स्कैन करें



cag.gov.in/ag/bihar/hi